

प्रेषक,  
 आर०के० द्विवेदी,  
 अनु सचिव,  
 उ०प्र०शासन।

सेवा में,  
 महानिरीक्षक,  
 कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ,  
 उ०प्र०, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक-21 अक्टूबर, 2013

विषय:- जिला कारागार, बिजनौर में बन्दियों की पेयजल व्यवस्था हेतु 200 कि०ली० ओवर हेड टैंक एवं ट्यूबवेल की स्थापना हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,  
 उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-26969/नम-2, दिनांक-5.9.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-149/22-4-12-48(14)/13, दिनांक-31.3.2013 द्वारा जिला कारागार, बिजनौर में बन्दियों की पेयजल व्यवस्था हेतु 200 कि०ली० ओवर हेड टैंक एवं ट्यूबवेल की स्थापना हेतु रु०-83,20,000/- (रुपया तिरासी लाख बीस हजार मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रथम किस्त के रूप में रु०-33,28,000/- (रुपये तेतिस लाख अट्ठाइस हजार मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। आपके उक्त पत्र दिनांक-5.9.2013 में किये गये प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुये श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2013-14 में उक्त निर्माण कार्य हेतु अवशेष द्वितीय किस्त की धनराशि रु०-49,92,000/- (रुपये उन्चास लाख बान्न्वे हजार मात्र) की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का सदुपयोग करते हुये निर्माण कार्य दिनांक-31.01.2014 तक पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-04-कारागारों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाले जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3- उक्त शासनादेश दिनांक-31.3.2013 की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं०-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक-28.3.13 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

E.E (H.O.)  
 ✓  
 22-10-13  
 Rmrcy  
 dtm  
 23/10/13

11038  
 154  
 23/10/2013

भवदीय,  
 आर०के० द्विवेदी  
 अनु सचिव।

संख्या-1377(1)/22-4-2013-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (सिविल अडिट), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ०प्र० इलाहाबाद।
- 3- प्रबन्धक निदेशक, उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि० लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी, बिजनौर।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1/2
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( आर०के० द्विवेदी )  
अनु सचिव।